कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला टीकमगढ, म.प्र.

क्रमांक / डीयूडीए / 2018 / 235 टीकमगढ दिनांक 26/2/18

–::विज्ञप्ति::–

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. टीकमगढके पत्र क्र. / शा–9 / श.घ.का.म. / 2017 / 10355 भोपाल दिनांक 22.05.2017 में दिये निर्देशानुसार हाउस कीपर कम कुक ट्रेड के लिए सेक्टर स्किल्स कॉउन्सिल द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम कोड DWC/0101, NSQF Lable 3 हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु प्रावधानित निर्धारित पात्रता रखने वाली संस्थाऐं जिला शहरी विकास अभिकरण टीकमगढ कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रातः 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक विज्ञापन प्रकाशित दिवस से दिनांक 14.03.2018 तक अपने प्रस्ताव पंजीकृत डाक से प्रस्तुत कर सकते है। जिसकी विस्तृत जानकारी वेबसाईड www.mpurban.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित समय एवं दिनांक के पश्चात् कोई भी प्रस्ताव कार्यालय में प्राप्त नहीं किया जावेगा।

संस्थाओं की पात्रता एवं विवरण निम्नानुसार है :–

1. NSDC से संबद्व संस्थाऐं।
2. म.प्र.राज्य कौशल विकास मिशन से संबंधित कोर्स हेतु अधिकृत एजेन्सी।

शर्तो का विवरण निम्नानुसार है :–

1. प्रशिक्षण कक्ष / प्रशिक्षण लेब / शैक्षणिक सामग्री / अन्य महत्वपूर्ण सुविधाऐं निर्धारित गाईड लाईन अनुसार उपलब्ध करानी होगी।
2. संस्था को भुगतान / मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण एजेन्सी का भुगतान / हितग्राही अनुदान का प्रदाय संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों में दिए प्रावधानुसार किया जायेगा।
3. संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के पास NSDC एंव सेक्टर स्किल्स कॉउन्सिल से अनुमोदित कोर्स का संबंद्व प्रमाण–पत्र होना चाहिए।
4. संबंधित ट्रेड में NSDC एवं सेक्टर स्किल्स कॉउन्सिल अनुमोदित कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव रखने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।
5. प्रशिक्षण हेतु नगर पालिका परिषद टीकमगढ में 80 का लक्ष्य निर्धारित है। प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा कोर्स एवं N.S.D.C. की नियमावली के अनुसार प्रशिक्षण केन्द्र संबंधित नगरीय क्षेत्र में होना चाहिए।
6. विज्ञप्ति में दिए गये अवधि में प्राप्त संस्थाओं का चयन संचालनालय द्वारा प्रावधानित प्रक्रिया के तहत किया जाकर संस्थाओं की वरियता सूची का निर्धारण किया जावेगा।
7. मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण हेतु संस्था का चयन राज्य के द्वारा किया जावेगा हितग्राहियों को प्रमाण–पत्र, प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा दिया जावेगा।
8. चयनित संस्थाओं को स्वीकृति राशि का 10 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में डी.डी. / बैंकर्स चैक (जो कि **"परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, टीकमगढ"** को अनुबंध पूर्व देय होगा) प्रशिक्षण आदेश अनुबंध के उपरांत प्रदाय किया जावेगा। अमानत राशि की वापिसी अनुबंध की शर्तों एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रावधानित शर्तों का पालन करने पर प्रशिक्षण की अंतिम किश्त के भुगतान के साथ की जावेगी।

9. अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करना पाये जाने के संबंधित निरीक्षणकर्ता के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर महोदय, की स्वीकृति उपरांत प्रशिक्षण आदेश निरस्त करते हुए अमानत राशि राजसात की जावेगी ।
10. चयनित संस्थाओं को निर्धारित प्रारूप में अनुबंध कराना होगा।
11. विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड संस्थाऐं उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अपात्र होंगी।
12. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा प्रशिक्षण का निष्पादन अनुबंधित ट्रेड/कोर्स हेतु स्वंय किया जायेगा। अन्यथा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लघंन करना पाये जाने पर प्रशिक्षण स्वीकृति आदेश बिना किसी सूचना के निरस्त किया जा सकेगा।
13. संस्था के पास पिछले 03 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए।
14. प्रशिक्षण उपरांत थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराना होगा। मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण में सफल हितग्राहियों को प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किये जायेगें।
15. हितग्राहियों को स्वरोजगार/रोजगार स्थापना के लिये परामर्श/सहायता प्रदान की जायेगी। हितग्राही का शहरी अजीविका केन्द्र में पंजीयन कराया जायेगा।
16. शेष शर्तें कार्यालय में देखी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त संचालनालय द्वारा समय–समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों/नियम/शर्तें भी मान्य होंगी।
17. किसी विवाद की स्थिति में कलेक्टर/अध्यक्ष जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला टीकमगढ का निर्णय अन्तिम/बंधनकारी होगा।

(निरंकार पाठक)
परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
टीकमगढ, (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/डीयूडीए/2018/235 टीकमगढ़,दिनांक 26/2/18

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. संचालक/तकनीकी एवं मिशन संचालक, डे–एस.यू.एल.एम. नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल।
2. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर।
3. सिटी मैनेजर, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर लेख है कि उक्त EOI को बेबसाईट www.mpurban.gov.in पर प्रकाशन करने का कष्ट करे।
4. सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. टीकमगढ की ओर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन www.tikamgarh.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करे।
5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका टीकमगढ की ओर लेख है कि कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करे।
6. शाखा प्रभारी कलेक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करे।

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
टीकमगढ़ (म.प्र.)